रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 1981/फाल्गुन 22, 1902
No. 57] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13 1981/PHALGUNA 22, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1981

सं० एस० 27025/9/80-सी० एल०:—भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या एस० 27025/6/78-फैक, दिनांक 6/7 फरवरी, 1979 द्वारा बाल श्रम समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 दिसम्बर, 1979 को प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और इन पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय परिशिष्ट में दिए गए हैं।

परिशिष्ट

सिफारिशें और लिए गए निर्णयों का सारांश

बाल श्रम समिति की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
5.1 समिति इस बात पर बल देना चाहती है कि बाल श्रम के बारे में सभी भावी कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि बच्चों द्वारा अपनाए गए धंधों का कितना गहरा अध्ययन किया जाता है तथा इसके बाद क्या उपचारात्मक कार्रवाई निश्चित की जाती है। अतः यह कामकाजी बच्चों तथा उनकी काम की दशाओं के बारे में जानकारी एवं आंकड़े एकत्रित करने के लिए और अधिक अध्ययन प्रायोजित करने की सिफारिश करती है। यह काम श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें एक अलग सैल हो जो समाज कल्याण विभाग तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के परामर्श से ऐसे अध्ययन प्रायोजित करे एवं भावी कार्रवाई का समन्वय करे।	स्वीकार की गई।

बाल श्रम समिति की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
5.2 समिति स्वीकार करती है कि कामकाजी बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए कई एक नीतियों को अपनाना आवश्यक है । इन्हें स्पष्टतः कई एक वर्गों में लेना होगा, तथा मजदूरी अर्जन रोजगार, अवैतनिक पारिवारिक कामगार; पारम्परिक दस्तकारियों में प्रशिक्षुता तथा कमाना और पढ़ना । प्रत्येक विशिष्ट वर्ग की अपनी विशेष समस्याएं है जिनपर कि व्यापक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।	स्वीकार की गई ।
5.3 समिति कामकाजी बच्चों की समस्याओं पर निरंतर नजर रखने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर परामर्श मंडलों के गठन की सिफारिश करती है । इन मंडलों में सरकार स्वैच्छिक संगठनों तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधि होने चाहिएं । जिन क्षेत्रों में बाल श्रम के लिए विनियमन की आवश्यकता है, ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जांच अध्ययन होने चाहिएं एवं सर्वेक्षण करने के लिए मंडलों के पास शक्तियां एवं संसाधन होने चाहिएं । यह वर्तमान कानूनों के कार्यान्वयन के परिणामों का सांविधिक पुनरीक्षण करे तथा परामर्श मंडलों के कार्यकरण पर रिपोर्ट संसद अथवा विधान सभा, जैसी भी स्थिति हो, के पटल पर रखी जानी चाहिए ।	इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई कि सलाहकार बोर्डों को केवल सलाहकार की हैसियत में कार्य करना चाहिए और बोर्डों की सिफारिशों को कार्यान्वयन करने की कार्यकारी जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की होगी ।
5.4 समिति का मत है कि किसी भी रोजगार में जाने के लिए बच्चों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की जानी चाहिए । अतः यह सिफारिश करती है कि किसी भी रोजगार में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष हो और यह कि जो वर्तमान कानून इससे कम आयु निर्धारित करते हैं, उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाएं । इसी के अनुसार, किशोरों के लिए आयु 15 वर्ष तथा 18 वर्ष के बीच निर्धारित की जाए ।	समिति का विचार था कि इस सिफारिश को स्वीकार करने का अभी समय नहीं है।
5.5 समिति का यह दृढ़ विचार है कि बच्चों के कार्य-नियोजन संबंधी कानूनों को उचित महत्व देने के लिए सरकार द्वारा तुरन्त कार्रवाई की अति आवश्यकता है । मूल उद्देश्यों के प्रति किसी भी संदिग्धता को दूर रखने के लिए समिति सिफारिश करती है कि बच्चों के कार्य-नियोजन के निषेध एवं विनियमों संबंधी वर्तमान कानूनों को एक ही व्यापक कानून का रूप दिया जाए । तथा नया कानून शब्द "बाल" तथा "किशोर" की नई परिभाषाएं निर्धारित करें तथा "काम के घंटे", "कार्य की शर्तें", आदि निर्धारित करें । नये कानूनों में इतनी लचक होनी चाहिए कि उसके उपबंध को मणीनी, कृषि, बागवानी, बानिकी, मत्स्यपालन आदि जैसे दूसरे धंधों पर भी धीरे-धीरे लागू किया जा सके ।	पैरा 5.4 के सामने दी गई टिप्पणी के अध्यधीन स्वीकार की गई।
5.6 समिति सिफारिश करती है कि किसी भी विनियमित रोजगार में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, जैसे कि आठवां वर्जा अथवा उसके समकक्ष, प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पांच वर्ष के भीतर-भीतर ठोस कदम उठायें जाएं।	समिति ने महसूस किया कि हालांकि सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य वांछनीय है, फिर भी इस उद्देश्य को पांच वर्षों के भीतर प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं होगा और यह कि सभी रोजगारों के लिये ऐसी योग्यता निर्धारित करना भी वांछनीय नहीं होगा । अतः समिति ने संशोधनों के साथ सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया । समिति द्वारा स्वीकृत संशोधित सिफारिशें निम्नानुसार है :— "न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, जैसे कि आठवां दर्जा अथवा उसके समकक्ष, प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, कदम उठाए जाएं।"
5.7 समिति दृढ़ता से कहना चाहती है कि बच्चों के नियोजन संबंधी कानून को लागू करने के लिए वर्तमान तंत्र को सुदृढ़ बनाने की ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाए तथा इस संबंध में स्वैच्छिक एजेंसियों एवं मजदूर संघों की भूमिका को भी उचित मान्यता दी जाए।	स्वीकार किया गया।
5.8 समिति इस बात की सिफारिश करती है कि सरकार मजदूर संघों के साथ अविलम्ब बातचीत चलाए ताकि कामकाजी बच्चों की आवश्यकताओं के मामले में सामूहिक सौदेबाजी के सुनिश्चियन के लिए संस्थात्मक कार्यप्रणाली बनाई जा सके ।	स्वीकार की गई। ,
5.9 समिति सिफारिश करती है कि बाल श्रम संबंधी उपबंधों के उल्लंघन के लिए वर्तमान कानूनों में व्यवस्थित दण्ड अधिक कड़े किए जाएं । प्रथम अपराध की सूरत में दण्ड एक वर्ष तक की कैद अथवा रु० 2,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों होना चाहिए । दूसरे अथवा निरंतर अपराध की सूरत में दण्ड केवल कैद होना चाहिए और वह भी दो वर्ष तक की।	स्वीकार की गई।
5.10 समिति योजना आयोग से सिफारिश करती है कि वह 15 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को श्रम बाजार से बाहर निकाल देने तथा देश में 15 से 59 के आयु-वर्ग के सभी बेरोजगार स्वस्थ व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता का पता लगाए तथा इस प्रस्ताव का लागत-लाभ विश्लेषण तैयार करे।	यह स्वीकार किया गया कि इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर अनुसंधान संस्थान से अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया जाए।

बाल श्रम समिति की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
5.11 वयस्क कामगरों की कमाई में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय योजना बंदी की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ समिति यह भी अनुभव करती है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कड़े पालन के सुनिश्चयन की भी आवश्यकता है। इस संबंध में समूचे प्रशासन तंत्र के सहयोग की आवश्यकता है।	स्वीकार की गई।
5.12 समिति अनुभव करती है कि निम्नलिखित को दृष्टि में रखने के लिए अधिक सार्थक एवं प्रभावी शिक्षा नीति की आवश्यकता है :— (क) पाठ्यचर्या में परिवर्तन तथा स्थानीय दस्तकारियों के साथ इनका एकीकरण ; (ख) स्वैच्छिक एजेंसियों का अधिकाधिक भाग लेना ; (ग) पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप छुट्टियों में परिवर्तन एवं समायोजन ।	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इन सिफारिशों में उठाए गए तीन पाइंटों को उक्त मंत्रालय द्वारा अपनाए जाने के लिए पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। विभिन्न कार्यक्रमों के विशेष ब्यौरे भी उन्होंने दिए जिन्हें छठी पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए इन सिफारिशों के अनुरूप यह मंत्रालय शुरू कर रहा था। तथापि अधिकार प्राप्त समिति ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा मंत्रालय को चाहिए कि इन योजनाओं के ब्यौरे तैयार करते समय विभिन्न अन्य संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों को भी शामिल करें।
5.13 बाल श्रमिकों के लिए शैक्षिक सुविधाओं के लिए व्यापक कानूनी उपबंधों तथा नियोक्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाले श्रम कल्याण उपायों के लाभ के रूप में शिक्षा को उनमें शामिल किए जाने पर समिति बल देती है। जिन क्षेत्रों में काम काजी बच्चों की संख्या अधिक है, उन क्षेत्रों में समिति अनौपचारिक शिक्षा के संबंध की सिफारिश करती है।	समिति का यह विचार था कि बाल श्रमिकों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों में किसी प्रकार के सांविधिक उपबन्ध करना संभव नहीं है लेकिन नियोजकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे ऐसे श्रमिकों की शिक्षा को श्रम कल्याण उपायों के एक अंग के रूप में शामिल करें। समिति ने उन क्षेत्रों में गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए किए जा रहे उपयुक्त प्रबंधों के लिए सिफारिश को स्वीकार किया, जहां कामकाजी बच्चे अधिक हैं।
5.14 समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय परिसरों अथवा सामुदायिक केन्द्रों में शिशु ग्रह/शिशु केन्द्र स्थापित किए जाएं ताकि जिन लड़कियों के परिवार में छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल करनी होती है, वे विद्यालय जा सकें। यह व्यवस्था कामकाजी माता-पिता के लिए भी बड़ी सहायक सिद्ध होगी।	समिति इस सिफारिश के पीछे सामान्य भावना से सहमत है। तथापि, इसका यह विचार है कि सभी अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ परामर्श करके समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसी सुविधाओं के विकास के लिए यथार्थ पद्धतियों पर विस्तार से विचार किया जाए।
5.15 समिति बाल कामगरों की आवधिक डाक्टरी जांच को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल देती है।	स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना नहीं है लेकिन केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निश्चित किए गए कार्यक्रम के अनुसार नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। समिति का यह विचार था कि ये सिफारिशें उपेक्षा के क्षेत्र पर बल देती हैं और उन क्षेत्रों में, जहां बाल श्रमिक ज्यादा हैं, निवारक तथा रोगनाशक दोनों विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन को शुरू करना आवश्यक है।
5.16 समिति अनुभव करती है कि काम के वातावरण, विशेषकर जिस जगह पर बच्चों को काम पर लगाया गया हो, को स्वच्छ रखने की और निरंतर ध्यान देते रहने की आवश्यकता है।	स्वीकार की गई।
5.17 कामकाजी बच्चों को नियोजकों द्वारा अनुपूरक पोषण प्रदान करने की व्यवस्था की जाए जिसके लिए उन्हें सहायता दी जा सकती है। उपर्युक्त योजना को लागू करने के लिए कर लगाने अथवा विकल्प स्वरूप इस योजना को चलाने तथा कल्याण योजनाओं के लिए तैयार नियोक्ताओं को करों आदि में छूट देने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।	समिति ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नियोजकों को उचित प्रोत्साहन दिया जाए।
5.18 जिन क्षेत्रों में बच्चे भारी संख्या में काम करते हैं, वहां आवासीय योजनाओं तथा मूल सुविधाओं पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।	यह सिफारिश इस स्पष्टीकरण के पश्चात् स्वीकार कर ली गई कि आवास योजनाएं अभिभावकों के लिए विशेष रूप से उन क्षेत्रों में होंगी जहां अधिक संख्या में बाल श्रमिक हैं, ताकि अभिभावकों के पास अपने रहने के लिए स्वास्थ्यकर पर्यावरण प्राप्त हो।
5.19 चुनींदा क्षेत्रों में कामगर बच्चों के लिए विशेष शिक्षण कक्षाओं के साथ संबद्ध अधिक पुस्तकालय एवं वाचन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है।	स्वीकार की गई।

बाल श्रम समिति की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
5.20 जिन क्षेत्रों में कामकाजी बच्चों की भारी संख्या हो, वहां मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों की सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।	स्वीकार की गई।
5.21 समिति सिफारिश करती है कि प्रशिक्षुता अधिनियम प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तथा बच्चों के लिए पृथक व्यावसायिक क्लिनिक तथा रोजगार ब्यूरो स्थापित किए जाएं।	समिति ने बालकों के लिए अलग रोजगार कार्यालय स्थापित करने के सुझाव का समर्थन नहीं किया। तथापि, इसने यह स्वीकार किया कि शिशु अधिनियम के प्रवर्तन को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए और 14 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाले बालकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
5.22 समिति इस बात पर भी बल देती है कि खतरनाक धन्धों का पता लगाने, व्यावसायिक रोगों की पकड़ तथा उनके उपचार के लिए अधिक सुव्यवस्थित प्रयासों की आवश्यकता है। संगठित एवं असंगठित दोनों में कई ऐसे क्षेत्रकों में जहां बच्चों को भारी खतरों का सामना रहता है, परन्तु उनके नियोजन को विनियमित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।	समिति ने इस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया और यह भी निर्णय किया कि खतरनाक व्यवसायों का पता लगाने के लिए भारतीय स्वास्थ्य और व्यावसायिक रोग संस्थान तथा कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय से अध्ययन करने के लिए कहा जाय।
5.23 समिति सिफारिश करती है कि बाल श्रम की बुराइयों के प्रति अधिक सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए जन प्रचार के माध्यमों को सार्थक प्रयास करना चाहिए।	इस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया।

आर० के० ए० सुब्रह्मण्या, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 13th March, 1981

S.27025/9/80-CL:—Government of India has constituted a Committee on Child Labour vide their Resolution No. S-27025/6/78-FAC dated 6/7th February, 1979. The Committee submitted its report on the 29th December, 1979. The recommendations of the Committee were considered by the Government and the decisions of the Government thereon are shown in the Appendix.

APPENDIX

Summary of the recommendations and decisions taken

Recommendations of the Committee on Child Labour	Decision of Government
5.1 The Committee would wish to underline that all future action in respect of child labour would depend very much on how intensively occupations in which children are employed are studied and remedial action determined thereafter. Accordingly, it recommends more studies to be sponsored in this regard to gather information and data about working children and their working conditions. This task should be spearheaded by the Ministry of Labour which should have an appropriate cell to sponsor such studies in consultation with the Department of Social Welfare, and other concerned Ministries and to coordinate further action (Paras 1.21, 1.22 and 2.7).	Accepted.
5.2 The Committee recognises that a multiple policy approach is necessary in dealing with the problems of working children. They have to be seen distinctly in the categories of wage earning employment; as paid family workers; as apprentices in traditional to crafts and as working and schooling. Each specific category has its own peculiar problems which need to be attended to comprehensively. (Para 2.16).	Accepted.
5.3 The Committee recommends constitution of Advisory Boards both at the Central and at State levels to keep a constant surveillance on the problems of working children. These Boards should have representatives of Government as well as those of voluntary organisations and trade unions. The Boards should have the powers and resources to undertake investigative studies and surveys to locate the specific areas where regulation of child labour is called for. It should also review periodically the results of the implementation of the existing legislation and a report on the working of the advisory boards should be placed on the Table of the House for Parliament or Assembly, as the case may be (para 3.163).	Accepted with the modifications that the Advisory Boards should only function in an advisory capacity and the executive responsibility for implementing the recommendations of the Boards would rest with the Government concerned.

Recommendations of the Committee on Child Labour	Decision of Government
5.4 The Committee is of the view that the minimum age should be prescribed for the children for entering any employment. It accordingly recommends that the minimum age for entry into any employment should be 15 years and that the existing laws which prescribe an age lower than this should be suitably amended. Correspondingly, the age for adolescents should be specified as between 15 and 18 years (para 3.156 and 3.157).	The Committee was of the opinion that the time is not ripe for accepting this recommendation.
5.5 The Committee is strongly of the view that there is a paramount need for an urgent action on the part of the Government to bring into a proper focus the laws relating to employment of children. To avoid any ambiguity in respect of the basic objectives, the Committee recommends that the existing laws relating to prohibition and regulation of employment of children should be consolidated into a single comprehensive one. The new legislation should adopt uniform definitions of the expressions of 'Child' and 'adolescent' and prescribe the 'hours' of 'work', 'condition of work', etc. The new law should also have flexibility of extending gradually the provisions contained therein to other occupations, such as mechanised agriculture, horticulture, forestry, fisheries etc. (para 4.149).	Accepted. Subject to the remarks against Para 5.4.
5.6 The Committee recommends that concerted steps be taken within five years to achieve the objective of providing minimum educational qualification, say eighth standard or equivalent for entry into any regulated employment (paras 3.154 and 4).	The Committee felt that although the objectives of providing education for all the children was desirable, it might not be practicable to achieve this objective within five years and that it might not also be desirable to prescribe such qualification for all employments. The Committee, therefore, decided to accept the recommendation with modifications. The modified recommendations as accepted by the Committee reads as follows:— "Steps be taken to achieve the objective of providing minimum educational qualifications, say eighth standard or equivalent."
5.7 The Committee strongly urges that serious attention be given towards strengthening the existing machinery for enforcement of legislation relating to employment of children and that due recognition should also be given in this regard to the role of voluntary agencies and trade union (para 3.159).	Accepted.
5.8 The Committee recommends to the Government to initiate dialogue with the trade unions at an early date so that some institutional framework could be evolved for ensuring collective bargaining in respect of the needs of working children (para 3.160).	Accepted.
5.9 The Committee recommends that the penalty provided in the existing laws for violation of provisions relating to child labour should be made more deterrent. The punishment for the first offence should be imprisonment which may extend to one year or fine extending to Rs. 2000/- or both. In the case of second or continuing offence, the penalty should be only imprisonment and that, too, upto two years (para 3.161).	Accepted.
5.10 The Committee recommends to the Planning Commission to work out the feasibility of taking away all children below the age of 15 years from the labour market in order to find employment for the unemployed able-bodied persons, between the age group of 15 and 59 in the country, and to work out a cost benefit analysis of this proposition (para 4.2).	It was agreed that the Institute of Applied Manpower Research might be requested to conduct the study.
5.11 While accelerated efforts are necessary in national planning to improve the earnings of adult workers, the Committee feels that stricter enforcement of the Minimum Wages Act needs to be ensured. In this regard greater participation should be sought of the entire administrative machinery, (para 4.4).	Accepted.
5.12 The Committee feels that a more meaningful and effective educational policy is called for to take into account the following:— (a) change of curriculum and integration of educational requirements with local crafts; (b) greater involvement of voluntary agencies; (c) changes and adjustments in the schedule of vacations and holidays to coincide with environmental requirements (paras 4.5 and 4.6).	The representative of the Ministry of Education informed that the 3 points raised in these recommendations had already been endorsed by that Ministry for adoption. Specific details of various programmes which the Ministry was undertaking in line with these recommendations for inclusion in sixth five year plan were also given by him. The members of the Empowered Committee however underlined that the Ministry of Education should also seek involvement of various other concerned Ministries and Agencies while formulating the details of these schemes.

Recommendations of the Committee on Child Labour	Decision of Government
5.13 The Committee would also underline more comprehensive statutory provisions for providing educational facilities for child workers and to include education as a part of labour welfare measures to be adopted by employers. It recommends arrangements for non-formal education in areas where there is concentration of working children (paras 4.9 and 4.8).	The Committee felt that it is not feasible to make any statutory provisions in labour laws for providing educational facilities to child workers, but that the employers should be otherwise encouraged to include education to such workers as a part of labour welfare measures. The Committee accepted the recommendation for suitable arrangements being made for non-formal education in areas where there is concentration of working children.
5.14 The Committee recommends that in rural areas, creches child-care centres should be established at the school premises, or at the community centres, so as to encourage girls who have to take care of young siblings in the family to attend schools. This arrangement would also be of great help to working parents. (para 4.7).	The Committee agreed with the general spirit behind this recommendation. It, however, felt that the actual modalities for developing such facilities should be considered in greater detail by the Ministry of Social Welfare in consultation with all other Ministries and agencies.
5.15 The Committee underlines the need for periodical medical check-ups to be linked with national health schemes in respect of child workers, (para 4.10).	The representative of the Ministry of Health informed that there was no national health scheme as such but medical facilities were provided to the citizens as per the programme decided by the Central and State Governments. The Committee felt that the recommendations underlined an area of neglect and that it was necessary to undertake implementation of specific health schemes both preventive and curative particularly in areas in which there is large concentration of child workers.
5.16 The Committee feels that constant attention needs to be paid to keep the working environment hygienically free especially in places where children are employed. (para 4.11).	Accepted.
5.17 Supplementary nutrition is to be provided to working children by the employers who could be given suitable subsidy for this programme. The possibility of imposing a cess or alternatively, to allow concessions in taxes etc. to employers who undertake to implement the schemes as envisaged above, and other welfare schemes, needs to be considered seriously, (paras 4.12 and 4.9)	The Committee underlined that suitable encouragement should be given to employers to implement such programmes.
5.18 Greater emphasis is needed on housing schemes and provisions of basic amenities in areas in which large number of children are working (para 4.13).	The recommendation was accepted after the clarification that the housing schemes would be for parents particularly in areas where there were large number of child workers so that the parents should have a healthy environment for their living.
5.19 More library and reading facilities linked with special teaching classes for working children need to be established in selective areas (para 4.14).	Accepted.
5.20 Arrangements for recreational and cultural activities should be provided in areas in which there are large number of working children (para 4.15).	Accepted.
5.21 The Committee recommends effective enforcement of the Apprentices Act and the setting up of separate vocational guidance clinics and employment bureaus for children (para 4.17).	The Committee did not support the idea of separate employment exchanges for children. It however accepted that the enforcement of the Apprentices Act should be made more effective and vocational guidance facilities should be made available for children of the age of 14 and above.
5.22 The Committee also underlines the need for a more systematic effort for identification of hazardous occupations and for detecting occupational diseases and their treatment. There are several areas both in the organised and unorganised sectors where children are exposed to serious hazards, but no efforts have so far been made to regulate their employment (paras 3.162 & 4.20).	The Committee accepted the recommendation in principle and also decided that for identifying the hazardous occupations, the Indian Institute of Health and Occupational Diseases and DGFASLI may be asked to conduct a study.
5.23 The Committee recommends a more purposeful effort on the part of the media to create greater social consciousness in respect of evils of child labour (para 4.21).	This recommendation was accepted in principle.

R. K. A. SUBRAHMANYA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981